सम्माराम बनाम लाभूसिंह

21-11-22

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील में विवादित भूमि से अपीलांट् का कोई सरोकार नहीं है। ना ही उक्त भूमि में अपीलांट् का कोई टाईटल, राईट व इन्टरेस्ट बनता हैं ऐसी स्थिति में अपीलांट् को उक्त प्रस्तुत करने का अधिकार हासिल नहीं है, ना ही अपीलांट् वादग्रस्त भूमि से किसी प्रकार से कोई व्यथित/प्रभावी पक्षकार ही है। विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने कथन के समर्थन में न्यायालय का ध्यान इस तथ्य पर दिलाया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि का स्मालपेच आवंटन दिनांक 25–11–2014 को किया गया था। तत्समय अपीलांट् का वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का कोई अस्तित्व ही नहीं था क्योंकि अपीलांट् द्वारा उक्त मुरब्बें में दिनांक 18–05–2015 को भूमि क्रय की गई तथा जिसका इंतकाल संख्या 258 दिनांक 26–05–2015 को दर्ज किया गया। ऐसी स्थिति में यह तथ्य साबित है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि का आवंटन अपीलांट् के उक्त मुरब्बें में अस्तित्व में आने से पूर्व ही हो चुका था। ऐसी स्थिति में अपीलांट् को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की प्राथमिक आपित्त स्वीकार की जाकर अपीलांट् की अपील इसी स्तर पर खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्/अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि चक 14 डीओबीबी के मुरब्बा नम्बर 198/3 में 16 बीघा 11 बिस्वा भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जबकि उक्त मुरब्बें के चिपते ही अपीलांट् की भूमि स्थित है। अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट् व अन्य चिपते काश्तकारों को किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा सूचना प्रदान नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन मिडियम पेच आवंटन नियमों के विपरीत होने खारिज योग्य आवंटन है। प्रकरण में जहॉ तक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति का प्रश्न है, उक्त आपत्ति

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रस्तुत करने का अधिकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को प्राप्त नहीं है, क्योंकि वे वादग्रस्त भूमि के आवंटी है तथा अपीलांट् उक्त आवंटन से व्यथित होने पर ही उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। न्यायालय द्वारा उक्त अपील के माध्यम से यह तय किया जाना है कि क्या अदालत मातहत द्वारा किया गया आवंटन विधि सम्मत अथवा आवंटन नियमों की पालन करते हुए किया गया है अथवा नहीं? इस प्रकार प्रस्तुत अपील के माध्यम से अपीलाधीन आदेश/आवंटन की वैधानिकता को तय किया जाना है। जिसका निर्धारण अपील के गुणावगुण पर बहस सुनने के पश्चात् ही किया जा सकता है। अपीलांट् चूंकि वादग्रस्त मुरब्बें की भूमि के बोनाफाईड परचेजर है ऐसी स्थिति में अपीलांट् को अपील प्रस्तुत करने पूर्ण अधिकार हासिल है। लिहाजा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की प्राथमिक आपत्ति खारिज फरमाई जाकर अपीलांट् की अपील का निर्धारण गुणावगुण पर किया जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्षों को प्राथमिक आपत्ति पर सुना गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय हाजा को समक्ष अपीलांट् द्वारा वादग्रस्त भूमि चक 14 डीओबीबी के मुरब्बा नम्बर 198/3 में 16 बीघा 11 बिस्वा भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किये गये आवंटन को चुनौती दी गई है। उक्त अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित आते हुए प्राथमिक आपित्त प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि चूंकि वादग्रस्त भूमि के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किये गये आवंटन के समय अपीलांट् अस्तित्व में नहीं थे क्योंकि उक्त चक/मुरब्बें में अपीलांट की भूमि निहित नहीं थी ऐसी स्थिति में अपीलांट् को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि का आवंटन दिनांक 25–11–2014 को किया गया था, उक्त आवंटन से पूर्व अदालत मातहत द्वारा संबंधित पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसमें सभी चिपते काश्तकारों का

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उल्लेख किया गया है, जिसमें अपीलांट् का नाम अंकित/उल्लेख नहीं है, क्योंकि तत्समय अपीलांट् की भूमि उक्त चक/मुरब्बें में निहित नहीं थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की मुख्य आपत्ति भी यही है कि अपीलांट् वादग्रस्त भूमि के रेस्पोडेन्ट को किये गये आवंटन के समय अस्तित्व में नहीं थे। प्रकरण में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा रजिस्टर्ड विकय दिनांक 18–05–2015 जोकि पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 122 पृष्ठ संख्या 70 कम संख्या 2015000870 पर दर्जशुदा है, व इंतकाल संख्या 258 दिनांक 26–05–2015 की छाया प्रतियॉं प्रस्तुत की गई है, जिनके अवलोकन से प्रथम दृष्टया ही साबित होता है कि अपीलांट् वादग्रस्त चक/मुरब्बें के पश्चात्वर्ती केता है अर्थात वादग्रस्त आराजी के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवंटन के समय उनके हक व हकुक वादग्रस्त आराजी पर विद्यमान नहीं होने से अपीलांट् वादग्रस्त भूमि के आवंटन के समय हितबद्व पक्षकार नहीं थे। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की प्राथमिक आपित्त बाबत् लोकस स्टेण्डाई स्वीकार की जाकर अपीलांट् की अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर